2019/00346

निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 158/2019 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

मनभर देवी पत्नी स्व॰ श्री गुलशन जाति बलाई निवासी ढाणी बोराज, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र रामचन्द
2. मोहन लाल पुत्र रामचन्द
3. कोयली देवी पुत्री रामचन्द
4. नानूराम पुत्र सूजा
5. श्योराम पुत्र सूजा
6. दानाराम पुत्र सूजा
7. धन्नाराम पुत्र सूजा
8. भगवान सहाय पुत्र सूजा
9. मीरा पुत्री सूजा
10. धन्नी देवी पत्नी स्व॰ सूजा
11. रामदेवी पुत्र भूरा
12. हनुमान पुत्र भूरा

समस्त जाति जाट निवांसी ढारी बोराज तहसील फुलेरा जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 16/2017 ब उनवानी रामचन्द्र बनाम मनभरी देवी व अन्य को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने बाबत।

जिला कलक्टर जयपुर (राज.)

उपस्थित:-

1. श्री राम प्रसाद कुमावत अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री नेमीचन्द जलवानिया अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से ।

निर्णय दिनांक 14.11.2019

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनथ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में पूर्व में दिनांक 20.12.2017 को प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 13 नियम 3 व 4 सपठित धारा 151 सी पी सी को खारिज फरमा दिया जिसके विरूद्व प्रार्थिया की ओर से न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में एक निगरानी उनवानी मनभरी देवी बनाम लक्ष्मीनारायण प्रस्तुत की गई, जिसका निस्तारण दिनांक 22.03.2018 को किया गया । जिसके विरूद्व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका संख्या 65710/2018

जिला कलक्टर जयपुर

प्रस्तुत की गई जो विचाराधीन है। उक्त याचिका के निस्तारण तक अधीनस्थ न्यायालय में कोई कार्यवाही नही की जा सकती है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीनं अधिकारी को उक्त याचिका की सूचना होने के बावजूद एक अन्य प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 14(3) सीपीसी का भी दिनांक 11.09.2019 को निस्तारण कर दिया तथा उक्त प्रकरण को निस्तारण करने पर आमादा है। अधीनस्थ न्यायालय पूर्ण रूप से अप्रार्थीगण के प्रभाव में हैं तथा वादिया के विरूद्व उक्त प्रकरण का निस्तारण करने पर आमदा हो रहे है। जिसरो उक्त प्रकरण में जानबूझ कर छोटी छोटी तारीख पेशी दी जा रही है। दिनाक 16.10.2019 को किसी अन्य अधिवक्ता द्वारा पक्षकार की ओर से आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पक्षकार बनने हेतु प्रस्तुत किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तुरन्त ही उक्त प्रार्थना पत्र की बहस सुनी गई और अन्तिम बहस हेतु दिनांक 17.10.2019 नियत कर दी गई, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर कोई निर्णय पारित नही किया गया । अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा कहा गया कि इस प्रकरण का शीघ्र निस्तारण करना है। जिससे प्रार्थिया को उक्त न्यायालय से न्याय की उम्मीद नहीं है। प्रार्थिया अनुसूचित जाति की अशिक्षित व विधवा महिला है तथा अप्रार्थीगण सामान्य जाति के है तथा किसी भी अनूसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि सामान्य जाति के व्यक्ति के हक में हस्तान्तरित नहीं की जा सकती है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय का आचरण एक न्यायाधीश जैसा प्रार्थी के पक्ष में नही रहा है, बल्कि अप्रार्थीगण से मिले हुये है। जिससे प्रार्थिया के वाद को अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना आवश्यक है। ऐसा कथन अंकित कर उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है।

2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थीगण की ओर से श्री नेमीचन्द जलवानिया अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया है।

बहस उभय पक्ष सुनी गई ।

4. उभयपक्ष अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम से प्राप्त टिप्पणी का भलीभांति अवलोकन किया गया।

5. उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक के समक्ष उक्त उनवानी प्रकरण वर्ष 1981 में प्रस्तुत हुआ है जो वर्तमान में स्थानान्तरित हो कर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम में विचाराधीन है। इस प्रकार उक्त प्रकरण काफी पुराना है। पुराने प्रकरणों का प्राथमिकता से निस्तारण किये जाने के लिए निर्देश प्राप्त है। प्रार्थिया द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम सें बिन्दूवार टिप्पणी तलब किये जाने हेतु पत्र कमांक 2703 दिनांक 17.10.2019 को दस्ती जारी किया गया था। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में तारीख पेशी दिनाक 21.10.2019 नियत होने के पश्चात भी प्रार्थिया की ओर से दस्तीपत्र पीठासीन अधिकारी को दिनांक 1.11.2019 को दिया गया है, जबकि दस्ती पत्र तत्काल ही दिया जाना चहिये था। दस्ती पत्र दिये जाने में प्रार्थिया की ओर से जानबूझ कर विलम्ब किया गया है। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि प्रार्थिया प्रकरण के निस्तारण में अनावश्यक देरीना करना चाहती है जो न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्तों के विपरीत

जिला कलक्टर
जयपुर

है। प्रकरण में उभय पक्ष को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण तथ्यों पर गौर करने से परिलक्षित होता है कि उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है, जिससे उक्त प्रकरण को अन्यत्र स्थानान्तरण किया जावे। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता हैं।

6. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उपखण्ड अधिकारी जपुर प्रथम को प्रेषित हो । पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

7. निर्णय आज दिनांक 14-11-2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(जुगरूप सिंह यादव)
जिला कलक्टर
जयपुर